

माननीय पटना उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार
विविध आपराधिक वाद सं० – 41750 वर्ष 2018

उद्भव – थाना कांड संख्या – 203 वर्ष 2015, थाना पटना, शिकायत वाद, जिला पटना

=====

अरुण कुमार ऊर्फ उपकार प्रीतम कुमार संतोषी, पिता- स्वर्गीय लाला प्रसाद सिंह, निवासी गांव- सादरपुर, थाना- बिंद, जिला-नालंदा. वर्तमान में रानी निवास, रमेश कॉलोनी, दरियापुर, थाना- परसा बाजार, जिला- पटना में रहता है।

... ..याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. कौशलेंद्र प्रसाद, पुत्र गोकुल महतो, गांव के स्थायी निवासी- मेराचाक, थाना- बिंद, जिला-नालंदा
वर्तमान निवासी आदर्श कॉलोनी ब्लॉक बी, बरियारहाटा, पोस्टल पार्क, थाना- कंकड़बाग, जिला- पटना।

... ..विपक्षीगण

=====

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	विद्वान अधिवक्ता श्री विजय आनंद, विद्वान अधिवक्ता श्री रूप किशन।
राज्य के लिए	:	विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री सुरेश प्रसाद सिंह
विपक्षी पक्ष सं० -2 के लिए	:	विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत सिद्धार्थ।

=====

याचिका – उस आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई, जिसमें अधिगत आदेश (Cognizance Order) में संशोधन के लिए दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था।

मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की जांच करने के बाद भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 और 504 के तहत अधिगत (Cognizance) लिया। बाद में, शिकायतकर्ता ने एक याचिका दायर कर धारा 420 और 406 IPC को अधिगत आदेश में जोड़ने और अधिगत आदेश में संशोधन करने का अनुरोध किया, जिसके आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश को संशोधित कर दिया।

निर्णय – कोई भी न्यायालय, जिसने किसी अपराध का अधिगत (Cognizance) लिया है, अपने ही अधिगत आदेश की समीक्षा (Review) करने का अधिकार नहीं रखता। (पैराग्राफ 5)
प्रथम अधिगत आदेश ही प्रभावी रहेगा और संबंधित मजिस्ट्रेट को पहले अधिगत आदेश के अनुसार ही आगे की कार्यवाही करनी होगी। (पैराग्राफ 6)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह
मौखिक आदेश

28-01-2025

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री विजय आनंद, राज्य की ओर से उपस्थित होनेवाले विद्वान सहायक लोकअभियोजक श्री सुरेश प्रसाद सिंह और विपक्षी पक्ष सं० 2 की ओर से उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत सिद्धार्थ को सुना।

2. वर्तमान याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (संक्षेप में 'Cr.P.C.') के तहत दायर की गई है, जिसमें 2015 के परिवाद मामला संख्या 203 (C) के संबंध में पटना के प्रथम श्रेणी के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा पारित दिनांकित 16.06.2017 आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। जिसमें एक आवेदन विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से दायर किया गया है, जो संज्ञान आदेश की अनुमति दी गयी है उसमें संशोधन करने के लिए।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि शिकायतकर्ता/विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने ऋण राशि का भुगतान न करने के साथ-साथ अन्य आरोपों के मुख्य आरोप के साथ एक शिकायत दर्ज की और उस आधार पर, विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से पूछताछ करने के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 504 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया और उन्हें उक्त अपराधों के लिए तलब किया गया। इसके बाद, शिकायतकर्ता (विपक्षी पक्ष संख्या 2) ने उक्त संज्ञान आदेश से व्यथित होकर, इस आधार पर संज्ञान आदेश को चुनौती देते हुए कि अन्य कथित अपराधों का संज्ञान, जो पूरी तरह से बनाए गए हैं, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं लिया गया था और उस आपराधिक संशोधन में, पुनरीक्षण अदालत ने विपक्षी पक्ष संख्या 2 को आरोप तय करने के चरण (अनुलग्नक-4) में संबंधित निचली अदालत के समक्ष अपनी शिकायतें उठाने की स्वतंत्रता देने के साथ पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा कर दिया। इसके बाद, विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने संज्ञान आदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 जोड़ने के अनुरोध के साथ संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष एक याचिका (अनुलग्नक-5) दायर की और इस तरह संज्ञान आदेश में संशोधन करने का अनुरोध किया और उस पर संबंधित न्यायिक

मजिस्ट्रेट ने अपने विवादित आदेश पारित करके स्वयं का आदेश जो कानून की नजर में पूरी तरह से अस्वीकार्य है, उस अवधि के बीच जब पहला संज्ञान आदेश पारित किया गया था और जब विवादित संज्ञान आदेश पारित किया गया था, याचिकाकर्ता के मामले से संबंधित परिस्थितियाँ नहीं बदलीं, इसलिए, विवादित आदेश स्वयं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान आदेश की समीक्षा के बराबर है जो कानून के खिलाफ है।

4. विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इस याचिका का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के कथित अपराध बनाए गए हैं क्योंकि उसका इरादा विपक्षी पक्ष संख्या 2 को दिनांक 04.03.2013 के कथित समझौते के निष्पादन की तारीख से धोखा देने का था और विवादित आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

5. दोनों पक्षों को सुना और विवादित आदेश को पढ़ा। यह न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा एक अदालत के रूप में लिए गए उपरोक्त आधार में सार पाता है, जिसने किसी अपराध का संज्ञान लिया है, उसके पास अपने स्वयं के संज्ञान आदेश की समीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं है और आगे, पुनरीक्षण अदालत के आदेश दिनांक 01.07.2015 के आलोक में आदेश पारित किया गया है। 2015 की आपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या 406 में विपक्षी पक्ष संख्या 2 को आरोप तय करने के समय अपनी शिकायत उठाने की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन उस स्वतंत्रता का लाभ उठाने के बजाय, विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने संज्ञान आदेश में सुधार के लिए एक याचिका दाखिल की। विद्वान मजिस्ट्रेट ने भी पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश की भावना को गलत समझा और अपने स्वयं के संज्ञान आदेश की समीक्षा करने के लिए आगे बढ़े, इस प्रकार, विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और तत्काल याचिका की अनुमति दी जाती है।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम संज्ञान आदेश दिनांक 29.05.2015 का पहला संज्ञान आदेश लागू रहेगा और संबंधित मजिस्ट्रेट अपने पहले संज्ञान आदेश के आलोक में कार्यवाही करेंगे और विपक्षी पक्ष संख्या 2 को वही स्वतंत्रता होगी जो पुनरीक्षण अदालत द्वारा अपने दिनांक 01.07.2015 के आदेश में दी गई थी।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

अनु/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।